लय सहायक कलक्टर (मु०) सीकर

न कानाराम आदि बनाम अजीत सिंह आदि

मा नं. दा० धारा 212 RT Act 82/2024

23/9/25	पत्रावली पेश की। प्रार्थी कानाराम के आवेदन पत्र बाबत निस्तारण राजीनामा पर आज पेशी से पूर्व पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थी कानाराम, मोतीराम, सुवालाल स्वयं हाजिर आये। पहचान के रूप में आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की। प्रार्थीगण के प्रतिनिधि एडवोकेट आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण को प्रार्थीगण आगे चलाना नहीं चाहते हैं और बेशर्त खारिज करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण के आईडी पर हस्ताक्षर प्रमाणित कराये। पहचान के रूप में उक्त प्रार्थीगण के हस्ताक्षर किये। अतः आवेदन पत्र अ० धारा 212 RT Act प्रार्थीगण वकील प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के अनुरोध पर बेशर्त खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही अभिलेख अगार हो। निर्णय आज दिनांक 23/9/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (मु.) सीकर	सुवालाल नि.अ. मोतीराम नि.अ. कानाराम पत्रावली (हस्ताक्षर) 23-9-2025